IV 19/15

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 966679

श्री सीताराम सामाजिक सेवा ट्रस्ट

5-6-2015

5-6-2015

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास–विलेख आज दिनांक–05.06.2015 को अम्बेडकरनगर में अनिल कुमार जायसवाल पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद जायसवाल निवासी ग्राम–रगड़गंज पोस्ट–कटरिया बाकूबपुर परगना व तहसील–अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर, उ0प्र0 द्वारा घोषित किया गया है, जिसे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा न्यासकर्ता/संस्थापक रू0 11000/(ग्यारह हजार रुपयो मात्र) की राशि सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है जो ट्रस्ट की प्रारम्भिक राशि है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि से न्यास बनाने

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 041708

हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट श्री सीताराम सामाजिक सेवा ट्रस्ट के नाम जाना जायेगा तथा कार्य करेगा। क्योंकि श्री सीताराम सामाजिक सेवा ट्रस्ट का न्यासकर्ता मुख्य ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके कोई और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 11000/रु0 (ग्यारह हजार रुपये मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

और क्योंकि वर्तमान में इस श्री सीताराम सामाजिक सेवा ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम–रगड़गंज पोस्ट–कटरिया याकूबपुर परगना व तहसील–अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर, उ0प्र0 रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्राम–रगड़गंज पोस्ट–कटरिया याकूबपुर परगना व तहसील–अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर, उ0प्र0 होगा। अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर शाखा कार्यालय स्थापित किया जायेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा श्री सीताराम सामाजिक सेवा ट्रस्ट के उद्देश्य के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है।

श्री सीताराम सामाजिक सेवा ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली–

श्री सीताराम सामाजिक सेवा ट्रस्ट के उद्देश्य– श्री सीताराम सामाजिक सेवा ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 041709

(3)

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज,महाविद्यालय, पुस्कालयो, वाचनालयो प्रयोगशालायों, चिकित्शालाओं, वृद्धाआश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एडस उत्थान केन्द्रों की स्थापना करना, नामकरण विकास, सम्बद्ध आवद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागों प्रतिष्ठानो संस्थाओं शासन आदि से उन मान्य सम्बद्ध आवद्ध पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृत करा सकना।
2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना।
5. उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।
6. महिला एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम का संचालन करना।
7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
8. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रमों का संचालन करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BA 041710

10. आई०आई०टी०, आई०टी०आई०, फार्मेसी, नर्स, ट्रेनिंग, आपरेशन, टेक्निशियन, लैब टेक्नियन, फिजीयोथीरेपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
11. समाज के लोगों के लिए हास्पिटल नर्सिंग होम स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान फोटो स्टेट, टाइपिंग, कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।
12— पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण करना तथा मूल्य का निर्धारण करना।
13— अंधे, गूँगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।
14— विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक, प्रायोगिक, कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल, आर्ट, सभी सामाजिक, आधुनिक भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
15— विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बना कर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।
16— पुस्तकों, साहित्यिक पत्रों, पाठ्य क्रम आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण करना।
17— सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों का आयोजन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 8A 041711

18– सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना तथा हस्त कला, शिल्प कला, कताई केन्द्रों की स्थापना करना व संचालन करना।

19– व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।

20– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों आदि से सहयोग प्राप्त करना अथवा सहयोग प्रदान करना।

21– विधिसम्मत उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार करना।

22– आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार करना।

23– कृषि उपयोगी कार्य करना एवं प्रचार–प्रसार करना।

24– विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार–प्रसार करना।

25– पर्यावरण सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी करना तथा सेमिनार कराना।

26– एड्स के बारे में जन–जागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार करना।

27– पुस्तक/पुस्तिकायें, पत्र–पत्रिकायें, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, संपादित, वितरित एवं बिक्री करना।

28– ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं, वस्तुओं के लिए शुल्क, मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

29– पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित करना।

30– उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसी सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन–चेतना जागृत करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BA 041712

31— धार्मिक स्थलों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार करना।

32— जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा क्रियान्वयन करना।

33— विभिन्न आयोजनों एवं कार्यों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान करना।

34— विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इंजीनियरिंग कालेजों, प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।

35— ट्रस्ट के कोष तथा संपदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसको ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।

36— ट्रस्ट जन सामान्य के हितार्थ कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा समय अपनी सेवायें/वस्तुयें लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़ंजा, तालाबों का निर्माण, पशुपालन आदि का कार्य किया जायेगा।

37— बाल श्रमिकों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों का संचालन करना तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन करना।

38— ट्रस्ट द्वारा अपने समस्त आय एवं अन्य कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही व्यय किया जायेगा।

39— किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना, फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल को आयात एवं निर्यात करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BA 041713

41– ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा ।

41– संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिए जिला प्रदेश देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना ।

42– दलित पिछड़ों अल्प संख्यकों का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराइयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना।

43– धरना, प्रदर्शन कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमीनार, वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन–प्रशासन तक पहुँचाना।

44– संविधान के तहत मानवाधिकार एवं उसके नियम क्रिया कलापों के बारे में जानकारी प्रदान करने की कार्य प्रणाली को विकसित करना।

प्रारम्भिक उपबन्ध–

1– वर्तमान में ट्रस्टडीड के पंजीकृत के दिनांक 05.06.2015 से अनिल कुमार जायसवाल जो कि न्यासकर्ता एवं न्यास विलेख के रचयिता भी हैं, को इस मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।

2– यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष अनिल कुमार जायसवाल की मृत्यु के उपरान्त व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी होंगे।

3– वर्तमान मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष अपने जीवन काल में जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को हस्तान्तरित कर सकता है।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BA 041714

(8)

मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी / हस्तान्तरण–

1– मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारियों मुख्य ट्रस्टी / अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।

2– मुख्य ट्रस्टी / अध्यक्ष अपने जीवन काल में मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।

3– किसी भी व्यक्ति के मुख्य ट्रस्टी का अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे, जो इस ट्रस्टडीड के मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये हैं।

4– मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष के द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकारी की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

5– मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष को लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दे। मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा अपने जीवनकाल में की गयी वसीयत / इच्छा व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BA 041715

(9)

6– यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकेगा।

7– कार्यरत मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष कभी भी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुन: विचार करने हेतु स्वतंत्र है ।

8– कार्यरत मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को किया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज–

1– यह कि मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार–विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है।

2– यह कि मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय इसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्यावधि मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये ट्रस्ट के पद से हटा सकता है।

3– यह कि मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष करेगा।

4– यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको कि मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5– यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णत: मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष की इच्छा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BA 041716

एवं विवेक पर निर्भर करता है, इस सन्दर्भ में मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय मान्य एवं अन्तिम होगा।

अध्यक्ष मुख्य ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधायें–

1– यह कि अध्यक्ष ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

2– यह कि ट्रस्टी अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर कोई आय कर लगता है तो ट्रस्टी अध्यक्ष स्वतः स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा, ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

कार्यक्षेत्र–

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा तथा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है, किन्तु ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय भारत में ही होगा।

मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष का विशेषाधिकार :–

मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप करके निरस्त/अस्वीकृत/संशोधित कर दे । मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा–निर्देश दे सकता है, जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा ।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BA 041717

(11)

सचिव/उपसचिवों की नियुक्ति :-

1- यह कि मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा ।

2- यह कि सचिव/उपसचिव के वेतन भत्ते, सुविधाएं, कार्य नियम, मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा ।

3- यह कि सचिव, उपसचिव मुख्य ट्रस्टी के अनुग्रह पर कार्य करेंगे। मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक, विधिक/अनुशासनात्मक, प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित कर सकता है।

उपाध्यक्ष की नियुक्ति :-

1- मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम् दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा ।

2- यह कि उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, सुविधाओं का कार्य मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे ।

3- यह कि उपाध्यक्ष मुख्य ट्रस्टी के अनुग्रह तक ही कार्य करेंगे । मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक, अनुशासनात्मक, प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 041718

है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित कर सकता है।

अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकारों एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष ट्रस्टी के विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्य होंगे:–

1– बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना ।

2– ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देखरेख करने के लिए उपाध्यक्ष, सचिव एवं उपसचिवों की नियुक्ति करना ।

3– इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना क्योंकि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–

अध्यक्ष ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा कराये गये विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना, परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता है ।

सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यवाही का उत्तरदायी है । ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार होंगे :–

1– ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना ।

2– ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्य कलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को नियंत्रण रखना ।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BA 041719

3– ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक, प्रशासनिक कार्यवाही करना ।

4– विभिन्न कार्य कलापों के उद्देश्यों को पूर्ण करने इनके कोष्ठों/विभाग/केन्द्रों/संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन करना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों/पदाधिकारियों आदि को संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम उपनियम बनाना।

5– ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच हेतु निर्णायक नियुक्ति करना।

6– एक से अधिक विशेष कार्यअधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनके कार्य का विभाजन करना ।

7– प्रचार–प्रसार मुद्रण, प्रकाशन, वितरण, विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

8– जन समस्याओं के कल्याण हेतु विभिन्न आयोजन करना ।

उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1– सचिव के अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।

2– सचिव द्वारा लिखित रूप से अधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त हो ।

3– सचिव द्वारा लिखित रूप से दिये गये कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

बैंक एकाउन्ट–

1– श्री सीताराम सामाजिक सेवा ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक, पोस्ट आफिस में खोला जा सकेगा । मुख्य ट्रस्ट, अध्यक्ष स्वयं या उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।

2– ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान, केन्द्र, कार्यालय इकाई कार्यालय का पृथक नाम से खाता खोलना एवं उसे संचालित करना। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है और संचालित किया जा सकता है।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 041720

3– मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष एकल खाता भी संचालित कर सकता है।

विधिक कार्यवाही–

यदि संस्था/ श्री सीताराम सामाजिक सेवा ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

सम्पत्ति सम्बन्धी–

1– श्री सीताराम सामाजिक सेवा ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है। जो कि एक नागरिक /व्यक्ति को प्राप्त होते है।

2– श्री सीताराम सामाजिक सेवा ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध मे ट्रस्ट की ओर से कोई भी निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

3– श्री सीताराम सामाजिक सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है ।

4– श्री सीताराम सामाजिक सेवा ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय विक्रय कर सकता है । रेहन रख सकता है । किराये पर दे सकता है, ले सकता है ।

5– श्री सीताराम सामाजिक सेवा ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट सम्मान पुरस्कार, स्मृत चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है ।

6– श्री सीताराम सामाजिक सेवा ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है । सुरक्षित कर सकता है । किसी बैंक, संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है ।

7– चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूत भाड़ा क्रय अनुज्ञि बन्धक भाटिती गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता है दे सकता है ।

विशेष :–

(अ) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/इकाई /इकाई/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उपनियम बनाये जा सकते है। परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट श्री सीताराम सामाजिक सेवा ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है तो वह नियम उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे ।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CD 966680

(15)

ख– अध्यक्ष मुख्य ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्ही प्राविधानों/शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं । इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी । इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी । श्री सीताराम सामाजिक सेवा ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्द्वारा अभिनिश्चित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये ।

साक्षीगण :–

साक्षी नं0 1–

हस्ताक्षर– [illegible]

पता [illegible]

अनिल कुमार जायसवाल
मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष
श्री सीताराम सामाजिक सेवा ट्रस्ट

साक्षी नं0 2–

हस्ताक्षर– [illegible]

पता [illegible]

इति दिनांक–05.06.2015

मसविदाकर्ता–

05/06/2015

मनोज कुमार श्रीवास्तव [illegible]
पंजीकृत सं0- 1560/
अकबरपुर- अम्बेडकर नगर